कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर

(केन्द्रीय नजारत)

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय के अन्तर्गत बाह्य न्यायालय बाँसगांव में स्थित जीर्ण आवासीय भवन एवं इन्द्राज भवन की खुली नीलामी मुख्यालय न्यायालय परिसर स्थित सभागार में दिनांक 12.10.2019 के सांयकाल 4.30 बजे की जानी है। उक्त की न्यूनतम बोली रु0 3,10,610 रु0 (रुपये तीन लाख दस हजार छः सौ दस) नियत की गयी है।

1. नीलामी खुली बोली द्वारा सम्पादित की जायेगी।
2. आरक्षित बोली मूल्यांकन के समतुल्य होगी।
3. सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति को उक्त भवनों को तोड़ने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु जनपद न्यायाधीश, जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी हैं, को अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी बोली को निरस्त कर सकते हैं।
4. अधिकतम बोली बोलने वाले की बोली गयी सम्पूर्ण धनराशि नीलामी स्वीकार होने के पश्चात तत्काल केन्द्रीय नजारत में जमा करनी होगी अन्यथा उसके पक्ष में नीलामी स्वतः समाप्त समझी जायेगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात बोलीदाता द्वारा उक्त भवनों को तोड़कर अवशेष आदि 30 दिन के अन्दर अपने व्यय पर हटवाना होगा। अवशेषों को हटाने की 30 दिन की समय सीमा का कडाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। विलम्ब होने की दशा में नीलामी समिति को दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
6. बोलीदाता द्वारा प्रश्नगत जीर्ण भवनों को ध्वस्त करने एवं सामग्रियों को हटाने के दौरान न्यायालय के सामान्य संचालन में अवरोध उत्पन्न न होना, स्वच्छता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त भवनों का अवलोकन इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस में 4.00 बजे सायं से 5.00 बजे के मध्य बाह्य न्यायालय बाँसगांव के नजारत अनुभाग से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

बोली बोलने वाले व्यक्ति को रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) जमानत धनराशि जमा करना होगा। किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

(मनोज कुमार राय)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
प्रभारी अधिकारी नजारत,
जनपद न्यायालय, गोरखपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं जन साधारण में प्रसारण हेतुः-

1. नाजिर, आयुक्त कार्यालय , गोरखपुर।
2. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट , गोरखपुर।
3. नाजिर, तहसील सदर ,गोरखपुर ।
4. नाजिर, तहसील बाँसगांव ,गोरखपुर ।
5. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम , गोरखपुर।
6. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन , गोरखपुर।
7. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर को समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
8. जनपद न्यायालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।

12/09/19

(मनोज कुमार राय)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
प्रभारी अधिकारी नजारत,
जनपद न्यायालय, गोरखपुर।